केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067 -
******

प्रथम अपील सं — CICOM/A/P/24/00088
संदर्भ संचिका सं . — Nill
अपीलकर्ता — श्री राजेंद्र
पुत्र श्री वीरू,
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.04.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	Nill
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	Nill
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	Nill
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.06.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	20.06.2024
निर्णय की तारीख	24.07.2024

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.04.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

1. "उक्त अपील पर यदि कोई सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की गई हो तो उस तिथि से अवगत कराए।
2. उक्त अपील पर यदि कोई निर्णय पारित किया गया हो तो उस निर्णय की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराएं।"

2. प्रदान की गई सूचना

"अपीलकर्ता को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई।"

3. प्रथम अपील का आधार

"यह की इस अपील करता ने अपने सूचना के आवेदन दिनांक 18.04.2024 को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली से केंद्र सूचना आयोग को प्रेषित अपनी अपील दिनांक 26.06.2023 पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा की गई कार्यवाही को जानने हेतु दो बिंदु पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी। यह कि आज दिनांक 10.06.2024 तक आवेदन के एक महीने 22 दिन व्यतीत हो जाने के बावजूद केंद्रीय लोक सूचना अधकारी केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली द्वारा ना तो कोई सूचना उपलब्ध गई है तथा ना ही कोई पत्र व्यव्हार किया है जो कि प्रश्नगत अधिनियम की धारा- 7 (1) मैं निर्दिष्ट समय सीमा का उल्लंघन है तथा आपत्तिजनक है।"

4. निर्णय

आपके पत्र दिनांक 18.04.2024 जो की जाँच करने में पाया गया है कि यह पत्र आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को प्राप्त ही नहीं हुआ है अतः डाक विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि तुरंत इस पत्र को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया जाये तथा आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को यह निर्देश दिया जाता है की वह इस पत्र पर कार्यवाही करे, तथा अपीलकर्ता को आवेदन के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना (फ्री ऑफ़ कॉस्ट) 05.08.2024 तक प्रेषित की जाये। तथा डाक सेक्शन को यह सलाह दी जाती है कि डाक निस्तारण करने में सावधानी बरते ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 25.07.2024

(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) डाक सेक्शन, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Jeetesh 26/07/24

26/7/24

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
26 JUL 2024
D. No.........
Initials.........

o/c